

क्रमांक/सहायता/2024/९०३

दिनांक 26.06.2024


निमित्त :-

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय,  
आ०प्र०स० एवं ना०सु० विभाग, जयपुर।

विषय:- मानसून सत्र 2023 में जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष में तेनात स्वयं सेवकों के मानदेय भुगतान हेतु बजट आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के पत्रांक पत्रांक 726-30 दिनांक 07.06.2023 से मानसून वर्ष 2023 में बाढ़ की सम्भावना को देखते हुए जिले में नागरिक सुरक्षा के स्वयं सेवकों की बाढ़ बचाव टीम को दिनांक 15 जून, 2023 से 30 सितम्बर, 2023 तक तेनात किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। जिसकी पालना में स्वयं सेवकों की बाढ़ बचाव टीम को कोटा जिले के थाना आर.के.पुरम क्षेत्र, थाना अनंतपुरा क्षेत्र एवं कार्यालय अग्निशमन अधिकारी नगर-निगम कोटा उत्तर में तेनात किये गये स्वयं सेवकों की प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर 15 जून 2023 से माह सितम्बर 2023 तक का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रूपये 679 /- एवं 175/- रूपये प्रति दिवस की दर से विराम भत्ता (250 रूपये का 70 प्रतिशत) एवं कार्यालय से आवास की दूरी 8 किमी. से अधिक होने पर प्रति दिवस 20/- रूपये की दर से साईकिल भत्ता का भुगतान बजट मद संविदा मद 2245-01-800-04-04-41 से किया जाना है। उक्त भुगतान योग्य दायित्व राशि 1879037/- हेतु बजट की आवश्यकता है। अतः निवेदन है कि उक्त बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु इस कार्यालय के बजट मद संविदा मद 2245-01-800-04-04-41 में राशि 1879037/- का बजट आवंटन कराने की कृपा करें।

  
प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग  
एवं अति० जिला कलक्टर  
(सीलिंग) कोटा